13/13 5141

20-11-2017	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से शपथ पत्र पर बयान रामप्रसाद व राजू लाल के दिनांक 6/X/16 को पेश हो चुके हैं। साक्ष्य प्रतिवादी से वकील वादी जिरह करना नहीं चाहते हैं। अतः जिरह का अवसर समाप्त किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य बन्द करवाई। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 11/12/2017 को पेश हो।
11-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के वकुलाय बहस हेतु समय चाहते हैं। उभयपक्ष के वकुलाय निर्णय दिनांक 19/12/17 से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत कर दें। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19/12/17 को पेश हो।
19/12/17	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली में वादी अर्ज द्वारा वादी के काका मोहन्या के नाम चली आ रही खातेदारी की काश्तकारी जो जमाबंदी संवत 2066-69 के खाता सं. 105 वाके ग्राम रवा में 1/4 हिस्से की खातेदारी दिलाने हेतु दावा हुआ था। विवादित काश्तकारी

वर्तमान में भी वादी के बाबा मोहन्या के नाम खातेदारी में चल रही है। मोहन्या की मृत्यु के बाद विरासत का नामा० नहीं खुला है। विरासत के नामान्तकरण खोलने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है अतः वादी को चाहिये कि वह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही करें। वादपत्र में चाही गई दादरसी विरासत का नामा० खुलवाये बिना नहीं दी जा सकती है अतः वादी का उक्त विवेचन के आधार वाद-पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार स०मा० को निर्देशित किया जाता है कि उक्त काश्तकारी जो खाता सं. 105 जमाबंदी संवत 2066-69 वाके ग्राम खवा में खातेदार मोहन्या पुत्र कमरया के नाम दर्ज हो रही है मोहन्या के फौत होने पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार तथा नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर